शशिभूषण प्रसाद मिश्रा और एक अन्य

बनाम

बाबूजी राय एवं अन्य

27 नवंबर, 1968

[एस. एम. सिकरी, आर. एस. बचावत और के. एस. हेगडे, न्यायमूर्तिगण]

अभ्यास एवं प्रक्रिया- उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई क्योंकि उत्तरदाता आवश्यक पक्षकार नहीं है- क्या अपील अन्य उत्तरदाताओं के विरुद्ध समाप्त हो जाती है? - सह-प्रतिवादियों के बीच पूर्वन्याय।

वादी (यहाँ अपीलकर्ता) ने बिहार के सिरिपुर मजरहिया गांव में एक देवता के स्वामित्व वाली कुछ भूमि का बंदोबस्त प्राप्त किया। प्रतिवादी (यहाँ उत्तरदाता) काजी दुमरा और शंकरपुर गांवों में स्थित भूमि के मालिक थे, जो एक नदी द्वारा सिरिपुर मजरहिया से अलग थे। वादियों का दावा था कि उक्त नदी के मार्ग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, जलभराव द्वारा विवादित भूमि काजी दुमरा और शंकरपुर गांवों से अलग हो गई और धीरे-धीरे वृद्धि और संचय के कारण सिरिपुर मजरहिया गांव में उनकी भूमि में जुड़ गई। देवता को भी मुकदमे में उत्तरदाता सं. 18 बनाया गया था, हालांकि उनके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया और वादियों ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसमें उन्होंने फिर से देवता को *प्रतिवादी* बनाया। हालांकि, वे उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त देवता के संरक्षक का खर्च जमा करने में विफल रहे और न्यायालय ने देवता के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान उत्तरदाताओं ने यह तर्क दिया कि देवता के विरुद्ध अपील खारिज होने के कारण पूरी अपील ही अमान्य हो गई है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने *अन्य बातों के* साथ-साथ यह भी कहा कि देवता के विरुद्ध अपील स्वतः समाप्त हो गई थी। वादीगण ने प्रमाण पत्र सहित इस न्यायालय में अपील दायर की। उत्तरदाताओं की ओर से *मुनि बीबी बनाम*

त्रिलोकीनाथ मामले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय कि क्या वाद भूमि सिरिपुर मजरहिया ग्राम से संबंधित है, देवता और प्रतिवादी पक्षों के बीच पूर्व निर्धारित निर्णय के रूप में लागू होता है; अपीलीय न्यायालय यह असंगत निष्कर्ष नहीं दे सकता कि वाद भूमि सिरिपुर मजराहिया ग्राम से संबंधित है; और इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के समक्ष पूरी अपील अमान्य हो जाती है।

अभिनिर्धारित : (i) उच्च न्यायालय का यह मानना त्रुटिपूर्ण था कि अपील पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त हो गई थी। अपील के किसी भी पक्षकार की मृत्यु नहीं हुई थी और अपील के समाप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। [973 ई]

(ii) देवता अपील का अनिवार्य पक्षकार नहीं थे और वादी देवता की अनुपस्थिति में भी उत्तरदाता के विरुद्ध अपनी अपील चलाने के हकदार थे। [973 जी-एच; 974 ए-बी]

(iii) *मुनि बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ* का मामला दर्शाता है कि कोई निर्णय सह-उत्तरदाताओं के बीच तब निर्णायक माना जाता है जब (1) उनके बीच हितों का टकराव हो; (2) वादियों को उनके द्वारा दावा की गई राहतें देने के लिए उस टकराव का निर्णय आवश्यक हो; और (3) सह-प्रतिवादियों के बीच प्रश्न का अंतिम निर्णय हो चुका हो। वर्तमान मामले में तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई थी। क्या वाद भूमि सिरिपुर मजराहिया से संबंधित थी, यह प्रश्न मुनि बीबी और सह-उत्तरदाताओं के बीच अंतिम रूप से तय नहीं हुआ था। वादियों द्वारा अपील दायर करने पर यह प्रश्न एक बार फिर मुनि बीबी और प्रतिवादी पक्षों के बीच न्यायिक जांच का विषय बन गया। [974 बी-डी]

मुनि बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ, एल. आर. 58 आई. ए. 158, संदर्भित।

(iv) अपील पर अंतिम सुनवाई और निर्णय होने से पहले ही, संरक्षक के खर्चों का भुगतान न करने के कारण देवता के विरुद्ध अपील खारिज कर दी गई। अपीलीय न्यायालय ने देवता की उपस्थिति में मामले की खूबियों पर कोई निर्णय नहीं दिया। वाद भूमि के स्वामित्व के प्रश्न पर देवता के विरुद्ध कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया। उत्तरदाता के

विरुद्ध अपीलीय न्यायालय का निर्णय परस्पर विरोधी और असंगत निर्णयों को जन्म नहीं देगा। उच्च न्यायालय का यह मानना त्रुटिपूर्ण था कि उत्तरदाता के विरुद्ध अपील अमान्य हो गई थी। [974 डी-ई]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1965 की दीवानी अपील सं. 1110

पटना उच्च न्यायालय के प्रथम अपील सं. 235/1951 में दिनांक 6 जुलाई, 1959 को दिए गए निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थियों के लिए *सरजू प्रसाद और बी. पी. झा*।

उत्तरदाताओं के लिए (उत्तरदाताओं की सं. 15 (ख) 15 (घ) तक को छोड़कर-*सी. बी. अग्रवाल, पी. के. चटर्जी और आर. बी. दतर*

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था

बचावत, न्यायमूर्ति- यह अपील प्रथम प्रथम अपर अवर न्यायाधीश, दरभंगा की न्यायालय में दायर स्वत्व वाद सं. 12/9/1946 से संबंधित है। वादी ने सिरिपुर मजराहिया गांव के प्लॉट सं. 1083 में स्थित 70 बीघा भूमि पर अपने स्वामित्व और कब्जे की घोषणा का दावा किया। उन्होंने श्री राधाकृष्ण जी बलदेवजी से भूमि का बंदोबस्त प्राप्त किया। देवता सिरिपुर मजराहिया परगाना जंखलपुर गांव, तौजी सं. 2794 के 16 आना के स्वामी थे। करे नदी इस गांव और काजी दुमरा तथा शंकरपुर गांवों के बीच बहती है। उत्तरदाता काजी दुमरा और शंकरपुर गांवों के जमींदार और किरायेदार थे। देवता उत्तरदाता सं. 18 थे और उनका प्रतिनिधित्व तंत्रेश्वर सिंह कर रहे थे। वादीगण ने दावा किया कि करे नदी के जलमार्ग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, विवादित भूमि जलभराव द्वारा काजी दुमरा और शंकरपुर गांवों से अलग हो गई और धीरे-धीरे भूमि के विस्तार और वृद्धि के कारण सिरिपुर मजराहिया गांव के भूखंड सं. 1083 में शामिल हो गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया। इसमें यह माना गया कि (1) मुकदमे वाली भूमि सिरिपुर मजराहिया गांव में भूखंड संख्या 1083 और 1089 में करे नदी के प्रवाह में धीमी, क्रमिक और अगोचर परिवर्तन के कारण

नहीं जुड़ी थी, (2) गांव में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी जिससे विवादित भूमि उन भूखंडों के स्वामी की संपत्ति बन जाती, (3) राधा कृष्णजी बलदेवजी या सिरिपुर मजराहिया गांव के स्वामी ने वाद में बताए गए तरीके से भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया था, (4) भूमि मूल रूप से काजी-दुमरा और शंकरपुर गांवों के स्वामियों की थी और उनकी संपत्ति बनी रही, और (5) वादी मुकदमे की तारीख से 12 साल पहले मुकदमे वाली भूमि पर अपना स्वामित्व और कब्जा साबित करने में विफल रहे। वादियों ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में एफ.ए. सं. 291/1951 दायर की। मूल प्रतिवादी सं.18, श्री राधा कृष्णजी बलदेवजी को अपील में उत्तरदाता सं. 23 के रूप में शामिल किया गया। 24 जनवरी, 1952 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उप निबंधक को देवता का संरक्षक नियुक्त किया। 18 फरवरी, 1952 को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

> " उत्तरदाता सं. 23 (देवता) के अभिभावक के खर्चे जमा करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाता है, ऐसा न करने पर यह अपील उनके विरुद्ध बिना किसी और संदर्भ के खारिज कर दी जाएगी"।

इस अनिवार्य आदेश का पालन नहीं किया गया और दो सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर देवता के विरुद्ध अपील खारिज कर दी गई। अपील की सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी पक्षों ने तर्क दिया कि देवता के विरुद्ध अपील खारिज होने के कारण पूरी अपील अमान्य हो गई है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि उत्तरदाता सं. 18 और प्रतिवादी पक्षों के बीच इस बात पर स्पष्ट विवाद था कि क्या भूमि सिरिपुर मजराहिया गांव का हिस्सा है, यह विवाद अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से उत्तरदाता सं. 18 के विरुद्ध समाप्त हो चुका था, उत्तरदाता सं. 18 के विरुद्ध अपील का महत्व समाप्त हो गया था और चूंकि अपील में सफलता से परस्पर विरोधी और असंगत फैसले आ सकते हैं, इसलिए सभी उत्तरदाताओं के विरुद्ध अपील अमान्य हो गई है। वादियों ने उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वर्तमान अपील दायर की है।

स्पष्टतः, उच्च न्यायालय का यह मानना त्रुटिपूर्ण था कि अपील पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त हो गई थी। अपील के किसी भी पक्षकार की मृत्यु नहीं हुई थी और अपील के समाप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। श्री सी. बी. अग्रवाल ने *मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ*[1] मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय कि क्या वाद भूमि सिरिपुर मजराहिया ग्राम से संबंधित है, देवता और प्रतिवादी पक्षों के बीच *पूर्व स्थापित* निर्णय के रूप में लागू होता है, और अपीलीय न्यायालय यह असंगत निष्कर्ष नहीं दे सकता कि वाद भूमि सिरिपुर मजराहिया ग्राम से संबंधित है, और इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के समक्ष संपूर्ण अपील अमान्य हो जाती है। हम इन तर्कों को स्वीकार नहीं कर सकते।

वादी, जो स्वयं को देवता का किरायेदार बता रहे थे, ने प्रतिवादियों पर मुकदमा दायर किया और उनसे वाद भूमि पर अपने स्वामित्व और कब्जे की घोषणा की मांग की। वादी का आरोप था कि यह भूमि श्रीपुर मजराहिया गांव से संबंधित है, जिसके स्वामी देवता थे। देवता मुकदमे में एक आवश्यक पक्षकार नहीं थे। उन्हें उत्तरदाता के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन उनके विरुद्ध कोई राहत नहीं मांगी गई थी। मुकदमा इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया गया कि वाद भूमि श्रीपुर मजराहिया गांव से संबंधित नहीं थी। वादियों ने इस फैसले के विरुद्ध अपील दायर की और देवता को प्रतिवादियों में से एक बनाया। वादी द्वारा अपने *वादार्थ संरक्षक* के खर्चों का भुगतान न करने के कारण अपील खारिज कर दी गई। देवता अपील में एक आवश्यक पक्षकार नहीं थे। वादी देवता की अनुपस्थिति में भी प्रतिवादियों के विरुद्ध अपनी अपील जारी रखने के हकदार थे।

जैसे ही वादियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं रह गया और यह प्रश्न कि क्या वाद भूमि ग्राम सिरिपुर मजराहिया से

---

1 एल.आर. 58 आई.ए. 158.

संबंधित है, एक बार फिर *विचाराधीन* हो गया। *मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ*[1] का मामला दर्शाता है कि कोई निर्णय सह-प्रतिवादियों के बीच अंतिम निर्णय के रूप में कार्य करता है: (1) उनके बीच हितों का टकराव है; (2) वादियों को उनके द्वारा दावा की गई राहत देने के लिए उस टकराव का निर्णय आवश्यक है; और (3) सह-प्रतिवादियों के बीच प्रश्न का *पूर्व निर्णय* हो चुका है। वर्तमान मामले में, तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई। क्या वाद भूमि सिरिपुर मजराहिया से संबंधित है, यह प्रश्न देवता और सह-प्रतिवादियों के बीच अंतिम रूप से तय नहीं हुआ था। वादियों द्वारा अपील दायर करने पर, यह प्रश्न एक बार फिर देवता और प्रतिवादी पक्षों के बीच न्यायिक जांच का विषय बन गया। अपील पर अंतिम सुनवाई और निर्णय होने से पहले ही, संरक्षक के खर्चों का भुगतान न करने के कारण इसे देवता के विरुद्ध खारिज कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय ने देवता की उपस्थिति में मामले की खूबियों पर कोई निर्णय नहीं दिया। विवादित भूमि के स्वामित्व के प्रश्न पर देवता के विरुद्ध कोई अंतिम निर्णय नहीं है। अपील न्यायालय का प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णय परस्पर विरोधी और असंगत निर्णयों को जन्म नहीं देगा। उच्च न्यायालय का यह मानना त्रुटिपूर्ण था कि प्रतिवादी के विरुद्ध अपील अमान्य हो गई थी।

इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर करना चाहिए था। पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वर्तमान अपील का गुण-दोष के आधार पर निर्णय, स्वत्व वाद सं. 29/11/1946 से उत्पन्न दीवानी अपील सं. 140/1966 के निर्णय के अनुरूप होगा। वह मुकदमा और स्वत्व वाद सं. 12/9/1946, जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ सुने गए और एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाए गए। दीवानी अपील सं. 140/1966 में हमने यह माना है कि विवादित भूमि मूल रूप से काजी दुमरा और शंकरपुर गांवों से संबंधित थी, कि करे नदी के पीछे हटने के कारण भूमि का स्थान बदल गया और भूमि का स्वामित्व काजी

---

1 एल.आर. 58 आई.ए. 158.

दुमरा और शंकरपुर गांवों में भूमि के मालिकों के पास ही बना रहा। वादी यह साबित करने में विफल रहे कि श्री राधा कृष्णजी बलदेवजी ने विवादित भूमि पर जैसा कि वाद में आरोप लगाया गया है, कब्जा कर लिया था। इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं था कि क्या देवता ने प्रतिकूल कब्जे से वाद भूमि पर स्वामित्व प्राप्त किया था। प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व प्राप्त करने का तर्क पहली बार अपीलीय स्तर पर नहीं उठाया जा सकता। वादी प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से वाद भूमि के किसी भी भाग पर देवता के स्वामित्व का दावा साबित करने में विफल रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रथम अपील सं. 235/1951 में कोई योग्यता नहीं था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया, फिर भी मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजना आवश्यक नहीं है। यद्यपि उच्च न्यायालय ने इस अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया, फिर भी मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजना आवश्यक नहीं है। दीवानी अपील संख्या 140/1966 में हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, स्वत्व वाद संख्या 12/9/1946 को भी खारिज किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

याचिका खारिज की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।